संख्या- 48 /2022/ई-2052086/71-3-2022-

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 10 मार्च, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मेडिकल कालेज, बस्ती हेतु मानक मद-31 सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2021-22/937, दिनॉक 25.02.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती हेतु 31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद रू0 473.60 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2210-05-105-03-"43-मेडिकल कालेज, गोरखपुर-10-जलकर/जलप्रभार मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 73.60 लाख एवं 75-रायबरेली रोड स्थित ट्रामा सेन्टर में प्रथम 24 घंटे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में 39-औषधि तथा रसायन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 400.00 लाख, इस प्रकार कुल रू0 473.60 लाख (रू0 चार करोड़ तिहत्तर लाख साठ हजार मात्र) की सम्भावित बचत को पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न प्रपत्र बीएम-9 में उल्लिखित मद में संक्रमित धनराशि को व्यय किये जाने श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2021-22 में उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

4- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, में बचत की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा तथा उक्त मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

5- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-82-मेडिकल कालेज, बस्ती-31 सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
Signed by कुलदीप कुमार रस्तोगी
Date: 10-03-2022 12:22:22
Reason: Approved
(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या/दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बस्ती।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र–9(1) (संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर–158) (इस पत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या–31–चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण	वित्तीय वर्ष 2021-22		प्रपत्र–बी0एम0–9	(रू0 लाख में)
निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) राजस्व	आवेदन पत्र देने के दि0 उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दि0 पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–03–शिक्षा					
43–मेडिकल कालेज, गोरखपुर–					
10–जलकर/जलप्रभार–	200.00	73.60	73.60	73.60	126.40
75–रायबरेली रोड स्थित ट्रामा सेन्टर में प्रथम 24 घण्टे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में–					
				400.00	600.00
39–औषधि तथा रसायन–	1000.00	400.00	400.00	**473.60**	**726.40**
कुल योग–	**1200.00**	**473.60**	**473.60**		

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) राजस्व	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–03–शिक्षा					
82–मेडिकल कालेज, बस्ती–					
					2973.60
31–सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	2500.00	2973.60	473.60	473.60	**2973.60**
कुल योग–	**2500.00**	**2973.60**	**473.60**	**473.60**	

1–स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार हैः–

प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर द्वारा मानक मद 10–जलकर/जलप्रभार में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 73.60 लाख तथा निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा रायबरेली रोड स्थित ट्रामा सेन्टर में प्रथम 24 घण्टे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में मानक मद–39–औषधि तथा रसायन में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 400.00 लाख, इस प्रकार कुल रू0 473.60 लाख की कुल बचत होना सम्भावित है।

2–स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :–

प्रधानाचार्य स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती ने अपने पत्र संख्या–मे0का0ब0/बजट/2021-22/4530-32 दिनांक 22.02.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों/महाविद्यालय से सम्बद्ध ओपेक चिकित्सालय, कैली बस्ती के चिकित्सा अधिकारियों/कर्मचारियों आदि तथा द्वितीय एल0ओ0पी0 के दृष्टिगत बढे हुए चिकित्सा शिक्षकों एवं जूनियर/सीनियर रेजीडेन्टों के वेतन संबंधी भुगतान हेतु मानक मद–31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन) में रू0 473.60 की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता से अवगत कराया गया है।

3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या–आरई– 468 /ई–3– /दस–2022, दिनांक० 8/03/2022

सेवा में

महालेखाकार
लेखा एवं हकदारी प्रथम,
उ0प्र0 इलाहाबाद

संख्या–.....

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. महानिदेशक, चि0शि0 एवं प्रशि0, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चि0शि0 एवं प्रशि0, उ0प्र0 लखनऊ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (तीन प्रतियों में)
6. गार्ड फाइल।

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग।

(पवित्र कुमार)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग।